

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/तुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

---

[क्रमांक 205]

---

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015 — चैत्र 9, शक 1937

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/ग्राम. /छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिकारियम जिस पर दिनांक 24-03-2015 को राज्यपाल की अनुमति ग्राप्त हो चुकी है, स्तदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(क्रमांक 7 सन् 2015)

**छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015**

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।<br><br>(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 3 में संशोधन.         | 2. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 3 में, शब्द “चालीस” के स्थान पर, शब्द “सौ” प्रतिस्थापित किया जाये।       |

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/प्रारू. /छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 7 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव।

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 7 of 2015)**

**THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2015**

**An Act to amend the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

- |                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short title and commencement. | 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Act, 2015.<br><br>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. |
| Amendment of Section 3.       | 2. In Section 3 of the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), for the word “forty”, the word “hundred” shall be substituted.                                       |